

प्रपत्र ।

उत्तरांचल अनुसूचित जातियों के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों और
विधवा पेंशन की सभी वर्गों की निराशित विधवाओं के इलाज हेतु वित्तीय
सहायता के आवेदन पत्र

1-आवेदक का नाम और पता

2-स्थानीय निवास स्थान.....

3-जाति(जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा देय हो जो सत्यापित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है)

4-आयु(उम्र) ग्राम प्रधान द्वारा देय जो बहुउद्देशीय कर्मचारी द्वारा सत्यापित हो संलग्न की जानी है।
शहरी क्षेत्र में प्रमाणपत्र सम्बन्धित वार्ड सदस्य देय वैध होगा।

5-वार्षिक आय (सभी स्रोतों से).....

(आयु प्रमाणपत्र माल विभाग के अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से नहीं द्वारा देय की सत्यापित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है)

6- रोग से ग्रस्त होने तथा अतिरिक्त धनराशि जिसकी इलाज हेतु आवश्यकता है। (राजकीय चिकित्सालय कें वरिष्ठ चिकित्सक)का प्रमाण पत्र जिसमें बीमारी का उल्लेख व बीमारी इलाज में जितनी धनराशि की आवश्यकता है। का प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है।

7-परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या

आयु उपजीविका और आय के क्षेत्र यदि कोई हो तो(कालम 4 के अनुसार
वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना है)

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

निशानी अंगूठा

नोट:- कम सेख्या 3 व 5 व 6 के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
उपरोक्त विवरण के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र साथ संलग्न
करने अनिवार्य है। आवेदक पत्र में फोटो स्टेट प्रमाण पत्र संलग्न किये गये
हो तो कृपया उन्हें अनिवार्य राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित किया जाना
आवश्यक है।

अपूर्ण आवेदन पत्रों में स्वीकृति दी जानी संभव न हो तो मेलेगी।

आवेदन पत्र में उपरोक्त क्रमवार प्रमाणपत्र संलग्न करते हुए
स्वीकृति हेतु TO द्वारा जिला सामाज कल्याण अधिकारी नैनाताल के
पदनाम प्रेशित करें।